


चेकलिस्ट - 16

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वचनपत्र

आवेदक छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. रायपुर, द्वारा **Construction of Approach road for Gharghoda Siding** हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल क्षेत्र 0.956 हे. वनभूमि प्रभावित हो रहा है। प्रस्तावित प्रकरण 1.000 हे. से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6 (I) के अनुसार यदि कोई वृक्ष विदोहन होता है तो उसका 10 गुना वृक्ष लगाने या यदि कोई वृक्ष विदोहन नहीं होता है तो न्यूनतम 100 वृक्ष के दर से 10 वर्षीय रखरखाव में जो लागत आवेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में 10 नग मिश्रित प्रजाति के 20 से.मी. से अधिक गोलाई के प्रभावित वृक्ष के एवज में दस गुना अर्थात् 100 नग पौधों का 10 वर्षीय रखरखाव में जो लागत आवेगा वह लागत आवेदक छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. रायपुर प्रदाय करने में वचनबद्ध है।

अतः स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता नहीं है।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़


04/08/2020
(उज्ज्वला बघेल)
प्राधिकृत अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन
कंपनी लिमिटेड, रायपुर